<u>संख्या-38/2018/410/पाॅच-6-18-76(जी.)/15</u>

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक : 23 फरवरी, 2018**

विषय-प्रदेश के नवनिर्मित 17 ट्रामा सेन्टरों स्थापना/संचालन के लिये उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय हेतु धनराशि रू0-5,33,60,262.00 की प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8फ/क्रय अनुभाग/2018/6053, दिनांक 23.01.2018 तथा शासनादेश संख्या-186/2015/1916/पाॅच-6-15-76(जी.)/15, दिनांक 31.08.15, शासनादेश संख्या-04/2016/3345/पाॅच-6-15-76(जी.)/15, दिनांक 01.01.16, शासनादेश संख्या-06/2016/3103/पाॅच-6-16-76(जी.)/15, दिनांक 01.01.16, शासनादेश संख्या-07/2016/3344/पाॅच-6-15-76(जी.)/15, दिनांक 01.01.16, शासनादेश संख्या-69/2017/21/पाॅच-6-17, दिनांक 10.03.17 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों दिनांक 31.08.15, 01.01.16 व 10.03.17 द्वारा प्रदेश के 17 जनपदों में ट्रामा सेन्टरों की स्थापना/संचालन हेतु उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय के लिये विभिन्न प्रकार के उपकरणों के साथ-साथ वेन्टीलेटर विथ हाई इण्ड विथ कम्प्रेशर, 3डी अल्ट्रा सोनोग्राफी ट्राली बेस्ड, आर्थो पावर ड्रिल एण्ड पावर सा एवं न्यूकमेटिक टूनीकिट के क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी तथा उच्च स्तरीय परीक्षण समिति के अनुमोदनोपरान्त उपलब्ध वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष उपकरणों का क्रय किया गया एवं उपकरणों की अनुमोदित मात्रा के सापेक्ष संलग्न सूची के कॉलम-6 में वर्णित उपकरणों का क्रय किया जाना शेष है।

2. आपके उक्त् पत्र दिनांक 23.01.18 के प्रस्तावानुसार संलग्न सूची के कालम-2 में उल्लिखित उपकरणों के क्रय हेतु कॉलम-7 के अनुसार धनराशि रू0-5,33,60,262.00 (रूपया पाॅच करोड़ तैंतीस लाख साठ हजार दो सौ बासठ मात्र) की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति निम्ननलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

(1) वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5, भाग-1 में तथा उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के साथ प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल 2016 में क्रय नियमों/प्रक्रिया के संबंध में दी गयी व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अद्यतन क्रय नीति विषयक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-809/पॉच-1-2012-3(14)/04 दिनांक 14.06.12, शासनादेश संख्या-1878/पॉच-1-2012-3(14)/04 दिनांक 29.11.12 व शासनादेश संख्या-122/पॉच-1-2014-5(100)/13 दिनांक 18.02.14 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-1/उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ–साथ क्रय संबंधी प्रचलित समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उपकरणों की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण चिकित्सालय में उपलब्ध शैयाओं के मानक के अनुसार है तथा प्रश्नगत उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये है। यदि मानक से इतर उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री प्रस्तावित /क्रय किये जाते है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/क्रयाधिकारी का होगा

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत नये उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री को शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25.11.11 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत् निष्प्रयोज्य घोषित कर उनको निस्तारित किया गया है और प्रश्नगत पुराने उपकरण अपना औसत कालावधि पूर्ण कर चुके है। निष्प्रयोज्य उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) आहरित धनराशि व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि की स्वीकृति/आहरण में एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में दी गयी शर्तो/व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन किया जाय।

(7) उपकरणेां/साज-सज्जा सामग्री की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।

(8) उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए।

(9) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।

(10) उपकरणेां/साज-सज्जा सामग्री हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(11) विभाग द्वारा उपकरणों की आवश्यकता तथा मानक स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय किये जा रहे उपकरण/साज-सज्जा प्रश्नगत चिकित्सालय के लिये आवश्यक एवं मानकानुसार है।

(12) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा । यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(13) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।

(14) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।

(15) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की मद चूंकि मितव्ययिता की मद है, अत: इनके क्रय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/क्रयाधिकारी का होगा।

(17) प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(19) इस सबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-64-जिला/संयुक्त चिकित्सालय में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामें डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के क कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 के प्रस्तर-2(3) द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>संख्या-38/2018/410(1)/पॉच-6-2018, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2 महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3 संबंधित जिलाधिकारी।

4 संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार ।

5 अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत)/ निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

6 वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।

7 मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।

8 संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 ।

9 संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।

11.कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

12.प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

आज्ञा से

हरनाम

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-38/2018/410/पॉच-6-18-76(जी.)/15 दिनांक 23 फरवरी, 2018 का संलग्नक

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उच्च स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित मात्रा	उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष जारी क्रय आदेश की मात्रा	अनुमोदित प्रति नग समस्त कर सहित	अवशेष मात्रा जिसका क्रय प्रस्तावित है	क्रय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेन्टीलेटर विथ हाई इण्ड विथ कम्प्रेश	120 नग	61 नग	1453940.97	29 नग	42164288.00
2	3 डी अल्ट्रासोनोग्राफी ट्राली बेस्ड	28 नग	21 नग	1484000.00	06 नग	8904000.00
3	आर्थोपावर ड्रिल एण्ड पावर सा	23 नग	12 नग	246750.00	04 नग	987000.00
4	न्यूमेटिक टूनीमिक	46 नग	23 नग	118634.00	11 नग	1304974.00
					योग-	53360262.00

(रूपया पॉच करोड़ तैंतीस लाख साठ हजार दो सौ बासठ मात्र)

हरनाम

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in